न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 130 / 2016

1 लीलाराम पुत्र लादुराम।
2 भानाराम पुत्र लादुराम।
3 गुमान सिंह पुत्र लादुराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्योताज सिंह पुत्र गणपत सिंह।
2 मातुसिंह पुत्र गणपत सिंह।
3 रामानन्द पुत्र शिम्भूदयाल।
4 महावीर पुत्र शिम्भूराम।
5 कृष्ण कुमार पुत्र शिम्भूराम।
6 दिनेश कुमार पुत्र शिम्भूराम समस्त जाति अहीर निवासीगण खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
7 सागर राम पुत्र पतराम।
8 सत्यवीर पुत्र बहादुर सिंह समस्त जाति मेघवाल निवासीगण बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
9 उप पंजियक बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।
10 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.05.2016
तथा संशोधित डिक्री दिनांक 06.05.2016 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी बुहाना बमुकदमा उनवानी लीलाराम
बनाम श्योताज सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 223/2013
तथा मुकदमा उनवानी श्योताज वगैरह बनाम लीलाराम
मुकदमा नम्बर 19/2013 दावा बाबत घोषणात्मक
रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री हजारीलाल सुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.02.2020

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 223/2013, 19/2013 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2016 एवं संशोधित डिक्री दिनांक 06.05.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट ने दावा संख्या 223/2013 बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा ग्राम बुहाना की भूमि गत खसरा नम्बर 737 हाल खसरा नम्बर 833,1601/6,1604 के सन्दर्भ में प्रस्तुत किया है। इसके विपरित रेस्पोडेंट संख्या 1 ने इसी भूमि के सन्दर्भ में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संख्या 19/2013 प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दोनों वाद एक साथ निर्णित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

करते हुये वादी का वाद खारिज किया एवं रेस्पोडेंट का वाद डिक्री कर दिया इससे व्यथित होकर अपीलांट की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट का धारा 19 के तहत घोषणा का वाद था उपकृषक के रूप में अपीलांट के पूर्वजों का नाम आधार जमाबंदी में था। विचारण न्यायालय ने विरोधाभासी विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रावधान के अन्तिम डिक्री में संशोधन पारित कर दिया है। दोनों वादो के विवाद बिन्दु प्रथक–प्रथक थे। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 के विधिक प्रावधानों के विपरित तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट का पूर्वज परताराम अनुसुचित जाति का था, उप कृषक दर्ज था। विचारण न्यायालय में धारा 42 का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अपीलांट के कब्जे बाबत विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नही किया है अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 06.05.2016 को श्योताज बनाम लीलाराम की डिक्री में लिपिकिय सहवन से हुई भूल को संशोधित किया है। लीलाराम बनाम श्योताज में कोई संशोधन नही किया है। अपीलांट को स्वंय का वाद खारिज होने एवं रेस्पोडेंट का वाद डिक्री होने के विरूद्व अलग–अलग अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपीलांट द्वारा एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। जो पोषणीय नही है विवादित भूमि 3 बार जरिये पंजिकृत विकय पत्र विकित होकर नामान्तकरण भरा गया है। नामान्तकरण कब्जे की तस्दीक के उपरान्त ही भरा जाता है। इससे रेस्पोडेंट का कब्जा साबित है विचारण न्यायालय ने विधिवत रूप से विवेचन कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट की अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। अपीलांट का धारा 19 के तहत घोषणा का वाद था उपकृषक के रूप में अपीलांट के पूर्वजों का नाम आधार जमाबंदी में था। विचारण न्यायालय ने विरोधाभासी विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रावधान के अन्तिम डिक्री में संशोधन पारित कर दिया है। दोनों वादो के विवाद बिन्दु प्रथक–प्रथक थे। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 के विधिक प्रावधानों के विपरित तनकीवार विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलांट का पूर्वज परताराम अनुसुचित जाति का था, उप कृषक दर्ज था। विचारण न्यायालय में धारा 42 का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्व है। अपीलांट के कब्जे बाबत विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन नही किया है। अपीलांट ने अपनी अपील मेमों में दोनों वादो के सन्दर्भ में कथन किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री मुकदमा नम्बर 223/2013, 19/2013 दिनांक 03.05.2016, 06.05.2016 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार व धारा 42 के सन्दर्भ में समुचित विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.03.2020 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर